

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी:-
राजस्व वाद सं.- 170/2021
सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

सुखराम पुत्र श्योचन्द्रराम उम्र 92 साल जाति जाट निवासी हंसास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू
राज0 (फौत)
1/1 लोकेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 सुखराम जाति जाट निवासी हंसास तहसील बुहाना जिला
झुंझुनू राज0

बनाम

वादी

1. सुमित्रा देवी पत्नि धर्मपाल
2. संजय कुमार पुत्र धर्मपाल
3. विनोद कुमार पुत्र धर्मपाल
4. विकास डांगी पुत्र धर्मपाल
5. सान्ता देवी पत्नि करण सिंह
6. कान्ता देवी पुत्री करण सिंह
7. समशेर सिंह पुत्र करण सिंह
8. रविन्द्र सिंह पुत्र करण सिंह
9. बिजेन्द्र सिंह पुत्र करण सिंह
10. शेर सिंह पुत्र करण सिंह
11. राजेश कुमार पुत्र करण सिंह
12. अनिल कुमार पुत्र रेशमा दोहिता करण सिंह
13. कमलेश पुत्री रेशमा दोहिती करण सिंह
14. कल्पना पुत्री रेशमा दोहिती करण सिंह
15. सुनिता पुत्री रेशमा दोहिती करण सिंह
16. ब्रिजेश पुत्र रेशमा दोहिता करण सिंह
17. अन्जना देवी पुत्री ख्यालीराम
18. महिपाल सिंह पुत्र ख्यालीराम
19. मन्जू देवी पुत्री ख्यालीराम
20. अशोक कुमार पुत्र ख्यालीराम समस्त जाति जाट निवासीगण हंसास तहसील बुहाना
जिला झुंझुनू (राज0)
21. तहसीलदार महोदय बुहाना तह0 बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
22. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बुहाना तह0 बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
23. बड़ौदा क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा बुहाना तह0 बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

प्रतिवादीगण



(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)



दावा खाता विभाजन

-:: निर्णय ::-

दिनांक :- 10-08-2022

(1). वादी की ओर से वाद पत्र रहा कि-

वादी की ओर से वाद पत्र निम्नप्रकार से पेश है-

1. यह कि वाके ग्राम हंसास तह0 बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स0 8 के ख0न0 123 रकबा 0.48 है0 ख0न0 126 रकबा 0.53 है0 ख0न0 206/36 रकबा 0.07 है0 ख0न0 216/79 रकबा 0.90 है0 ख0न0 217/80 रकबा 0.15 है0 ख0न0 218/83 रकबा 0.80 है0 ख0न0 220/86 रकबा 0.03 है0 ख0न0 33 रकबा 0.18 है0 ख0न0 59 रकबा 0.63 है0 ख0न0 60 रकबा 0.63 है0 ख0न0 72 रकबा 0.98 है0 ख0न0 76 रकबा 0.03 है0 ख0न0 77 रकबा 1.00 है0 ख0न0 85 रकबा 0.01 है0 ख0न0 86 रकबा 0.04 है0 कुल किता 15 कुल रकबा 6.46 है0 में वादी का हिस्सा 1/4 भाग दर्ज रिकार्ड है जिस पर वादी बाहमी बंटवारा कर शांतीपूर्वक काबिज कास्त है व शेष भूमि में प्रति0 स0 1 ल0 4 का प्रत्येक का 1/16 भाग यानि संयुक्त रूप से 1/4 भाग दर्ज रिकार्ड है इसी प्रकार प्रति0 स0 5 ल0 11 का प्रत्येक का हिस्सा 1/32 भाग दर्ज रिकार्ड है तथा प्रति0 स0 12 ल0 16 को 1/32 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है तथा प्रति0 स0 17 ल0 20 का प्रत्येक का 1/16 भाग यानि संयुक्त रूप से 1/4 भाग दर्ज रिकार्ड है।
2. यह कि वादी व प्रति0 स0 1 ल0 20 मौके पर गत 30 वर्षों से बाहमी बंटवारा कर बाहमी बंटवारे से अपने अपने हिस्से पर काबिज कास्त है लेकिन उपरोक्त भूमि का विधिवत खाता विभाजन नहीं हुआ है।
3. यह कि वादी अपने 1/4 हिस्से का खाता विभाजन करवाने हेतु प्रति0 स0 1 ल0 20 को कहा तो प्रति0 स0 1 ल0 20 ने खाता विभाजन करवाने से मना कर दिया। इसलिए वादी का उक्त वाद न्यायालय श्रीमान जी में पेश करना आवश्यक हुआ है।
4. यह कि आधार विवाद वाद वर्णित भूमि में वादी का 1/4 भाग हिस्सा दर्ज होने व उक्त भूमि का खाता सामलाती रहने से आये दिन आने वाली समस्याओं का सामना करने से पैदा हुआ है जो सावधि है वैसे भी खाता विभाजन हेतु कोई अवधि निर्धारित नहीं होती है।
5. यह कि वाद वर्णित भूमि का विधिवत खाता विभाजन नहीं होने के कारण आये दिन पक्षकारान में झगड़ा होता रहता है इसलिए वादी को उक्त वाद न्यायालय श्रीमान जी में पेश करना आवश्यक हुआ है।
6. यह कि वाद वर्णित भूमि व रिहायश पक्षकारान ग्राम हंसास तह0 बुहाना जिला झुंझुंनु (राज0) में स्थित होने से न्यायालय श्रीमान जी के सीमाक्षेत्र में स्थित है इसलिए उक्त वाद का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान जी को प्राप्त है।



(सुनील कुमार सोहान)
उपपंच अदालत बुहाना
जिला झुंझुंनु (राज.)

7. यह कि वाद पत्र बाबत खाता विभाजन हेतु न्यायालय में कोर्ट फीस 1 रुपये कोर्ट फीस पर पेश है।
8. यह कि प्रति० सं० 21 भूस्वामी है जिसे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा प्रति० सं० 22 व 23 ने अन्य पक्षकाराने ने ऋण ले रखा है इसलिए आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।
9. यह कि वाद पत्र के समर्थन में वादी का शपथ पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न है।
अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि-

(क) कि वाके ग्राम हंसास तहसील बुहानास्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता सं० 8 के ख०न० 123 रकबा 0.48 है० ख०न० 126 रकबा 0.53 है० ख०न० 206/36 रकबा 0.07 है० ख०न० 216/79 रकबा 0.90 है० ख०न० 217/80 रकबा 0.15 है० ख०न० 218/83 रकबा 0.80 है० ख०न० 220/86 रकबा 0.03 है० ख०न० 33 रकबा 0.18 है० ख०न० 59 रकबा 0.63 है० ख०न० 60 रकबा 0.63 है० ख०न० 72 रकबा 0.98 है० ख०न० 76 रकबा 0.03 है० ख०न० 77 रकबा 1.00 है० ख०न० 85 रकबा 0.01 है० ख०न० 86 रकबा 0.04 है० कुल किता 15 कुल रकबा 6.46 है० में वादी का हिस्सा 1/4 भाग का खाता विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(ख) कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जावे।

(ग) कि अन्य अनुतोष जो आयाचित रह गया हो वादी को दिलवाया जावे।

दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 की ओर से एडवोकेट अशोक यादव ने वकालतनामा मय जबाव दावा एवं प्रतिदावा पेश किया।

प्रति० सं० 1 लगा० 5 व प्रति० सं० 7 ल० 20 की ओर से काउन्टर क्लेम निम्न प्रकार से पेश है कि वाके ग्राम हंसास तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता सं० 8 के ख०न० 123 रकबा 0.48 है० ख०न० 126 रकबा 0.53 है० ख०न० 206/36 रकबा 0.07 है० ख०न० 216/79 रकबा 0.90 है० ख०न० 217/80 रकबा 0.15 है० ख०न० 218/83 रकबा 0.80 है० ख०न० 220/86 रकबा 0.03 है० ख०न० 33 रकबा 0.18 है० ख०न० 59 रकबा 0.63 है० ख०न० 60 रकबा 0.63 है० ख०न० 72 रकबा 0.98 है० ख०न० 76 रकबा 0.03 है० ख०न० 77 रकबा 1.00 है० ख०न० 85 रकबा 0.01 है० ख०न० 86 रकबा 0.04 है० कुल किता 15 कुल रकबा 6.46 है० में प्रति सं० 1 ल० 4 का प्रत्येक का 1/16 भाग यानि संयुक्त रूप से 1/4 भाग दर्ज रिकार्ड है इसी प्रकार प्रति० सं० 5 व 7 ल० 11 का प्रत्येक का हिस्सा 1/32 भाग दर्ज रिकार्ड है तथा प्रति० सं० 12 ल० 16 को संयुक्त रूप से 1/32 हिस्सा तथा प्रति० सं० 17 ल० 20 का प्रत्येक का 1/16 भाग यानि



(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला बुधनूर (राज.)

संयुक्त रूप से 1/4 भाग का खाता अलहेदा कायमकिया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की कृपा करे।

पक्षकारान के मध्य राजीनामा निम्न प्रकार से पेश है।

1. यह कि वाके ग्राम हंसास तह0 बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स0 8 के ख0न0 123 रकबा 0.48 है0 ख0न0 126 रकबा 0.53 है0 ख0न0 206/36 रकबा 0.07 है0 ख0न0 216/79 रकबा 0.90 है0 ख0न0 217/80 रकबा 0.15 है0 ख0न0 218/83 रकबा 0.80 है0 ख0न0 220/86 रकबा 0.03 है0 ख0न0 33 रकबा 0.18 है0 ख0न0 59 रकबा 0.63 है0 ख0न0 60 रकबा 0.63 है0 ख0न0 72 रकबा 0.98 है0 ख0न0 76 रकबा 0.03 है0 ख0न0 77 रकबा 1.00 है0 ख0न0 85 रकबा 0.01 है0 ख0न0 86 रकबा 0.04 है0 कुल किता 15 कुल रकबा 6.46 है0 में वादी का हिस्सा 1/4 भाग दर्ज रिकार्ड है जिस पर वादी बाहमी बंटवारा कर शांतीपूर्वक काबिज कास्त है व शेष भूमि में प्रति0 स0 1 ल0 4 का प्रत्येक का 1/16 भाग यानि संयुक्त रूप से 1/4 भाग दर्ज रिकार्ड है इसी प्रकार प्रति0 स0 5 ल0 11 का प्रत्येक का हिस्सा 1/32 भाग दर्ज रिकार्ड है तथा प्रति0 स0 12 ल0 16 को 1/32 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है तथा प्रति0 स0 17 ल0 20 का प्रत्येक का 1/16 भाग यानि संयुक्त रूप से 1/4 भाग दर्ज रिकार्ड है। जिस पर पक्षकारान अपने अपने हिस्से के अनुसार बाहमी बंटवारे के अनुसार काबिज कास्त है। अपने हिस्से के अनुसार अपना अपना खाता विभाजन भी करवाना चाहते है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के 1/4 हिस्से का व प्रति0 स0 1 ल0 4 का प्रत्येक का 1/16 भाग यानि संयुक्त रूप से 1/4 भाग दर्ज रिकार्ड है इसी प्रकार प्रति0 स0 5 ल0 11 का प्रत्येक का हिस्सा 1/32 भाग दर्ज रिकार्ड है तथा प्रति0 स0 12 ल0 16 को 1/32 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है तथा प्रति0 स0 17 ल0 20 का प्रत्येक का 1/16 भाग यानि संयुक्त रूप से 1/4 भाग का खाता विभाजन कब्जे कास्त के अनुसार दिया जावे इससे हम सभी सहमत है।

वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी सम्वत् 2075-78 पेश किए गए।

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 29-06-2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रैजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 26-07-2022 को प्राप्त हुई। अधिवक्ता वादीगण ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर निवेदन किया हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत है, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे।

बहस सुनी गई।



(सुनील कुमार चौहान)
अपरखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्डुन (राज.)

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

-:: आदेश ::-

न्यायालय वाद वादी व प्रतिवादा डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाके ग्राम हंसास स्थित भूमि खसरा नम्बर 123, 126, 206/36, 216/79, 217/80, 218/83, 220/86, 33, 59, 60, 76, 77, 85, 86 किता 15 कुल रकबा 6.46 है। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-4" व नक्शा प्रदर्श "ब-1 लगायत ब-15" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-4" व नक्शा प्रदर्श " ब-1 लगायत ब-15" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-4" व नक्शा प्रदर्श " ब-1 लगायत ब-15" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना
जिला सुन्सरी (राज.)

निर्णय आज दिनांक 17-08-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।



(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना
जिला सुन्सरी (राज.)

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारी:-

सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.-170/2021

निर्णय दिनांक:- 10-08-2022

सुखराम बनाम सुमित्रा आदि

दावा बाबत -खाता विभाजन

वादी की ओर से श्री महावीर चौधरी एडवोकेट की व प्रतिवादी सं. 1 से 20 की ओर से श्री अशोक यादव एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10-08-2022 को श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

" न्यायालय वाद वादी व प्रतिवादा डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाके ग्राम हंसास स्थित भूमि खसरा नम्बर 123, 126, 206/36, 216/79, 217/80, 218/83, 220/86, 33, 59, 60, 76, 77, 85, 86 कित्ता 15 कुल रकबा 6.46 है। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-4" व नक्शा प्रदर्श "ब-1 लगायत ब-15" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-4" व नक्शा प्रदर्श " ब-1 लगायत ब-15" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-4" व नक्शा प्रदर्श " ब-1 लगायत ब-15" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 10/8/22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

